नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2012 से 03/2014

भाग–एक

1 प्रारम्भिक :–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी पद पर निम्न अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

अध्यक्षः–

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री रूप चन्द नेगी	1.4.2012 से 31.3.2014

कार्यकारी अधिकारीः–

क्रम संख्या	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री विनोद शर्मा	1.4.2012 से 15.2.2013
2	श्री मोहिन्द्र कुमार	16.2.2013 से 31.3.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनाँक 31.03.2014 को अनुदान की अनुप्युक्त राशि	5 (क)	164.24
2	अनुदान राशियों का अन्य उद्देश्यों पर अनियमित व्यय	5 (ख)	19.24

3	दिनाँक 31.3.14 को अग्रिम समायोजन हेतु शेष	6	3.06
4	दिनाँक 31.3.14 को गृह कर की वसूली योग्य राशि शेष	7 (क)	25.67
5	गृहकर की बढ़ी हुई दरों से वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	7 (ख)	5.90
6	दिनाँक 31.3.14 को दुकानों के किराये की वसूली हेतु राशि शेष	7 (घ)	84.40
7	मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	7 (ण)	1.81
8	संविदाकार से विभागीय तौर पर जारी किये गये सीमेन्ट की वसूली न करने बारे	10 (ख)	0.65
9	सक्षम अधिकारी की बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए निर्माण कार्य का निष्पादन करने बारे	11	61.86
10	दिनाँक 31.3.14 को हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से बिजली शुल्क की वसूली योग्य राशि शेष	12	4.09
11	लोक निर्माण विभाग से रोड रोलर किराये की राशि की वसूली न करना	13	0.82

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "अ"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद मनाली के अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के लेखाओं का अंकेक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक

द्वारा 22.8.2014 से 10.11.2014 के दौरान मनाली में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के माह 6/12 व 7/13 तथा व्यय के माह 6/12 व 3/14 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक सीमित है।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :—

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 का अंकेक्षण शुल्क ₹81800/—आँका गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनाली को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0) एस0एम0/580 दिनाँक 10.11.14 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :—

(क) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर परिषद की अवधि 4/12 से 3/14 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है। विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट "क" "i" व "ii")** में संलग्न है।

वर्ष	**2013—14**	**2013—14**
प्रारम्भिक शेष	19344566	25587150
प्राप्ति	55246824	51794982
कुल	**74591390**	**77382132**
भुगतान	49004240	62882298
अन्तिम शेष	**25587150**	**14499834**
रोकड़ बही अनुसार 31.3.2014 को अन्तशेष		14499834
31.3.2014 को बैंक अन्तशेष **(परिशिष्ट "क" "iii")**		14804952
अन्तर की राशि		305118

1 ₹305118/–अन्तर की राशि का समाधान जाँच करने के उपरान्त निम्नानुसार किया गया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ("क" "iii")** पर संलग्न है।

2 परिषद द्वारा भुगतान हेतु माह 3/2014 तक चैक जारी किये गये लेकिन 31.3.2014 तक बैंकों से भुनाए नहीं गये।

क्र0सं0	**चैक संख्या**	**दिनाँक**	**वाऊचर संख्या**	**राशि**
1	779684	7.12.11	47	3000
2	780720	16.12.11	83	400
3	781777	21.3.12	71	240
4	790450	26.12.12	51	390
5	791203	5.11.13	46	2550
6	792164	1.12.13	50	24200
7	878280	17.8.13	107	5000
8	881327	18.2.14	44	150
9	881340	18.2.14	59	182104
10	881347	19.2.14	66	1988
11	882178	4.3.14	30	107500
			योग	**327522**

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7 तक दर्शित चैकों को छः माह से अधिक समय पहले जारी किया गया है व कालातीत हो चुके है। यह राशियाँ रोकड़ बही में प्राप्ति में दर्ज कर चैक निरस्त किये जाए।

3 दिनाँक 31.3.14 को प्राप्त आय ₹7170/– दिनाँक 2.14.2014 को बैंक में जमा की गई।

4 ₹14706/– बैंक चार्जिज की प्रविष्टि 31.3.14 तक रोकड़ बही में नहीं की गई।

₹305118/– अन्तर की राशि का समाधान निम्नलिखित हैः–

(क) रोकड़ बही में समाधान हेतु जमा की जाने वाली राशिः–

(i) चैक जिनका भुगतान होना था (+) 327522

(ख) रोकड़ बही में समाधान हेतु घटाई जाने वाली राशिः–

(i)	बैंक चार्जिज की राशि 31.3.2014 तक	(–) ₹14706
(ii)	प्राप्त आय जो 31.3.14 के बाद जमा हुई	(–) 7170
	कुल	21876
	शुद्ध अन्तर की	(+) 327522(–)21876=₹305646
(ग)	**रोकड़ बही व बैंक शेष दिनाँक 31.3.14 को अन्तर**	₹305118
	वास्तविक अन्तर	₹528

अवधि 4/12 से 3/14 तक 31.3.2014 को लेखों में ₹528/– का अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निवेशः–

(ग) नगर परिषद मनाली में मुख्य रोकड़ बही में दिनाँक 31.3.14 को क्रमशः ₹3504839 व ₹3091020 कुल ₹6595859/– का निवेश सावधि जमा योजना में है। निवेश का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क" (ए)** में संलग्न है।

(घ) पैन्शन खाते से अन्तशेष व निवेशः–

नगर परिषद में पैन्शन का लेन देन हेतु रोकड़ बही को तैयार नहीं किया गया है व लेन देन बैंक पास बुक्स से किया जा रहा है। दिनाँक 31.3.14 को पैन्शन खाते के अन्तर्गत यूको बैंक मनाली खाता संख्या 14303 में ₹2447651/– शेष थे व विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क" (बी)** पर संलग्न है पैन्शन शीर्ष के अन्तर्गत दिनाँक 31.3.14 को सावधि जमा योजना में ₹1961919/– निवेशित किये गये थे।

(ण) पैन्शन खाते के अन्तर्गत अनुपयोगी राशि का उचित प्रबन्धन न करने के कारण परिषद को ब्याज की अतिरिक्त आय के रूप में लगभग ₹2 लाख की वित्तीय हानिः–

दिनाँक 31.3.14 को पैन्शन बचत खाते में ₹24.48 लाख शेष थे बचत खाते में मात्र 4% वार्षिक ब्याज अर्जित हो रहा है यदि लगभग ₹20 लाख को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष के लिए उचित वित्तीय प्रबन्धन को मध्यनजर रखते हुए 9% वार्षिक ब्याज की दर से लगभग ₹20 लाख पर 5%x2 वर्ष में ₹2 लाख अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्ति की जा सकती थी। अतः वित्तीय कुवित्तीय प्रबन्धन के कारण परिषद को ₹2 लाख की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में अनुपयोगी राशियों को

निवेशित करने हेतु अतिशीघ्र कदम उठाये जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

5 **अनुदानः—**

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व व्यय की गई अनुदानो की विवरणी **परिशिष्ट "ख"** पर दर्शाई गई है जिनमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई।

(क) दिनाँक 31.3.2014 को ₹1.64 लाख अनुदान की अनुप्युक्त राशिः—

अनुदानों की विवरणी परिशिष्ट "ख" के अवलोकन में पाया गया कि नगर परिषद में कुल प्राप्त धन राशि में से ₹16424123/— दिनाँक 31.3.2014 को अनुपयुक्त थे। इन राशियों का उपयोग सम्बन्धित विकास कार्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था। अतः इन अनुदानों का नियमानुसार शीघ्र उपयोग करके इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय को प्रेषित किये जाऐं अन्यथा अनुप्युक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग को प्रत्यर्पण किया जाए।

(ख) ₹19.24 लाख अनुदान राशियों का अन्य उद्देश्यों पर अनियमित व्ययः—

दिनाँक 31.3.2014 को अनुदानों से प्राप्त राशि का अन्तशेष निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क) (सी)** पर संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि ₹1924289/— का व्यय अनुदान में से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अन्य उद्देश्य हेतु किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व व्यय को सक्षम अधिकारी Funding agency की स्वीकृति प्राप्तकर नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति की जाये।

अनुदान	**दिनाँक 31.3.14 को अनुदानो का अन्तशेष**	
पुराने अनुदान का शेष	864450	**(परिशिष्ट "ख" "i")**
2012—13 में प्राप्त अनुदानों का अन्तशेष	9921620	**(परिशिष्ट "ख" "ii")**
2013—14 में प्राप्त अनुदानों का अन्तशेष	5638053	**(परिशिष्ट "ख" "iii")**
31.3.14 को कुल अनुपयुक्त अनुदान शेष	16424123	**(परिशिष्ट "क" "डी")**
31.3.14 को वित्तीय स्थिति का अन्तशेष	14499834	**(परिशिष्ट "क" "ii")**
अनुदानों से अन्य उद्देश्यों पर व्यय राशि	1924289	**(परिशिष्ट "क" "सी")**

6 अग्रिमः–

₹3.06 लाख के अग्रिम समायोजन हेतु शेषः–

परिषद के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2014 तक विभिन्न कर्मचारियों को ₹306050/– के अग्रिम विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रदान किये गये है जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में सलंग्न है। विवरणी की पड़ताल से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 1 से 35 तक अग्रिम 6 से 14 वर्ष पहले प्रदान किये गये थे। इनके समायोजन अथवा वसूली हेतु परिषद द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है व क्रम संख्या 1 से 5 लाख सचिवों को अग्रिम ₹1.65 लाख लगभग 14 वर्ष पहले प्रदान किये गये व सम्बन्धित सचिव काफी समय पहले सेवानिवृत भी हो चुके है लेकिन इन कर्मचारियों को "No dues certificate" किस आधार पर जारी किया गया यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः गत 6 से 14 वर्ष पुराने अग्रिम व "No dues certificate" जारी करने सम्बन्धी मामला निदेशक शहरी विकास विभाग, शिमला के ध्यान में यथोचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है तथा अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए।

7 (क) गृहकर की बकाया ₹25.67 लाख की वसूली न करने बारेः–

परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की बकाया राशि ₹2567433/– की वसूली की जानी शेष थीं विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। अतः म्युनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 87 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाये।

(ख) गृहकर की बढ़ी हुई दरों से वसूली न करने के फलस्वरूप परिषद को ₹5.90 लाख की वित्तीय हानिः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया कि नगर परिषद द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में गृहकर वर्ष 2012–13 व 2013–14 में 12**%** की दर से वसूली की गई जबकि सरकार द्वारा पत्र संख्या यू0डी0एस0सी0 (10)–2/2002 दिनाँक 24.9.2003 के तहत निर्देश जारी किये गये थे कि नगर परिषदों/पंचायतों में 12½**%** की दर से गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिससे नगर परिषद को वर्ष 2012–13 में ₹7096676X12½**%**=₹7392371 (–)7096676=

₹295695 व 12**%** वर्ष 2013–14 में ₹7058210 x12½**%**/12**%** =₹7352302(–) 7058210=₹294092 कुल ₹295695+294092=₹589787 की वित्तीय हानि हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गृहकर की माँग व वसूली नियमानुसार की जाए।

(ग) गृहकर माँग व संग्रह रजिस्टर में गृहकर की बकाया राशि ₹4.10 लाख कम दर्शाने बारेः–

नगर परिषद के गृहकर माँग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कई मामलों में गृह कर की बकाया राशि को या तो कम दर्शाया गया है या फिर दर्शाया ही नहीं गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। गत अंकेक्षण पैरा संख्या 6.7 के माध्यम से भी इस विषय को उठाया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई हैं।

ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा **परिशिष्ट "ग" "i"** में दिया गया है। अतः इन मामलों की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त माँग व संग्रह रजिस्टर में सही आंकड़े दर्ज किये जाये तथा गृहकर की वसूली तदानुसार सुनिश्चित की जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) दुकानों के किराये की बकाया ₹84.40 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "घ"** में दर्शाये गये विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2014 को ₹8440489/– विभिन्न दुकानदारों से किराये की वसूली अधिभार सहित करनी शेष थी। परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा किराये की वसूली के लिए म्युनिसिपल अधिनियम 1994 की धारा 89 (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाये ताकि अधिक से अधिक किराये की बकाया राशि की वसूली हो सके व परिषद के विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।

(ण) मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर फीस ₹1.81 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद द्वारा विभिन्न मोबाईल टावर कम्पनियों से **परिशिष्ट "ण"** में दर्शाये गये विवरणानुसार दिनाँक 31.3.2014 को ₹181000/– की वसूली करनी शेष थी। बकाया राशि को वसूल करने हेतु परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः उपरोक्त

राशि की समय पर वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित राशि की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाया जाये।

8 स्थापनाः—

(क) परिषद कर्मचारियों को ACP स्कीम के अन्तर्गत 4—9—14 का अनियमित भुगतानः—

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्रांक फिन (पी0आर0) बी (7)—59/2010 दिनाँक 9.8.12 के अन्तर्गत ACP स्कीम लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा अपने स्त्तर पर समस्त कर्मचारियों को (कार्यकारी अधिकारी को छोड़कर) 4—9—14 ACP स्कीम के अन्तर्गत प्रस्ताव पारित होने के बाद 1.1.2013 से वित्तीय लाभ वेतन में प्रदान किये गये ये लाभ पत्रांक के पैरा 4 बी, ई व आई के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निदेशालय स्त्तर पर प्रदान किये जाने अपेक्षित थे लेकिन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई यह अनियमित है। अतः समस्त 4—9—14 के मामले सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्ति कर नियमित करवाये जाये।

9 पैन्शनः—

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द (सैक्रेटरी सुपरवाईजर) सेवानिवृत को पारिवारिक पैन्शन प्रतिमाह ₹1963/— का अधिक भुगतान करने बारेः—

श्री जगदीश चन्द, सैनेटरी सुपरीवाईजर (सेवानिवृति दिनाँक 31.8.2003 व स्वर्गवास दिनाँक 26.4.2006) को शहरी विकास विभाग के पैन्शन अदायगी आदेश संख्या 551/2003 दिनाँक 29.8.2003 द्वारा 1.9.2003 से ₹2848/— मूल पैन्शन व मृत्यु के बाद उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी को 1 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक यदि उनके पति जीवित रहते, ₹2848/— मूल पैन्शन व उसके बाद अर्थात सेवानिवृति दिनाँक 31.8.2003 से 7 वर्ष बाद 1.9.10 से पारिवारिक पैन्शन ₹1980/— प्रतिमाह निर्धारित की गई। अतः पारिवारिक पैन्शन ₹2848/— से संशोधित ₹6438/— व 1.9.10 से ₹1980 से संशोधित कर ₹4475 मूल पैन्शन देय थी लेकिन पारिवारिक पैन्शन अंकेक्षण समाप्ति तक ₹6438 प्रतिमाह के आधार पर दी जा रही थी जोकि 1.9.10 से ₹4475 प्रतिमाह देय थी।

इसके अतिरिक्त सेवानिवृत कर्मचारी की मृत्यु दिनाँक 26.4.2006 के बाद पारिवारिक पैन्शन से नियमानुसार कन्म्यूटेशन पैन्शन ₹1139 प्रतिमाह की कटौती समाप्त की जानी थी

लेकिन यह कटौती पारिवारिक पैन्शन से की जा रही है जो नियमानुसार नहीं है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः पारिवारिक पैन्शन की अधिक अदायगी की वसूली सुनिश्चित की जाए इसके अतिरिक्त कम्यूटेशन की स्वर्गवास के बाद से कटौती करने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये जिसे नियमानुसार सही किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेन्ट क्रय न करने के फलस्वरूप लाखों ₹ की वित्तीय हानिः—

अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 तक नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से छूट दर पर सीमेन्ट की खरीद नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमेन्ट के क्रय के लिये सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों आदि के लिये सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों आदि के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पत्र संख्या एच0पी0एस0सी0एच0पी0प्रो—24 (36) आर0सी0/2004—05—18132—187 दिनाँक 25.9.04 में वर्णित है। इस पत्र में स्पष्ट है कि सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार दर से ₹40 कम दर पर दर संविदा के आधार पर की जायेगी जिसके फलस्वरूप नगर निगम परिसरों तथा नगर पंचायतों/परिषदों द्वारा किये जाने वाले निर्माण/मुरम्मत के कार्यो की लागत 25**%** कम हो सके व कार्य की गुणवता भी प्रभावित न हो सके लेकिन परिषद द्वारा सीमेन्ट क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से नहीं किया गया। संविदाकारों द्वारा खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय कर कार्य उच्च लागत पर किया गया परिणामस्वरूप नगर पंचायत को लाखों ₹ की वित्तीय हानि हुई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और भविष्य में सीमेन्ट की खरीद सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार खरीद करना सुनिश्चित किया जाए। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(ख) संविदाकार से 200 बैग सीमेन्ट के मूल्य ₹65000/— की वसूली न करने बारेः—

एक निर्माण कार्य ÅManufacturing of laying of C.C. Blocks on road Hotel Kalpana to wards Mata Hadimba Temple." श्री प्रेम सिंह संविदाकार द्वारा निष्पादित किया

गया। इस कार्य हेतु माह 10/2011 तक विभागीय तौर पर निम्नलिखित सीमेन्ट जारी किया गयाः—

माँग पत्र संख्या	जारी सीमेन्ट (बैग)
103	200
123	200
125	350
131	200
143	100
150	200
कुल जारी सीमेन्ट	**1250 बैग**

यह कार्य अंकेक्षण अवधि में माप पुस्तिका संख्या 43/20 द्वारा सम्पन्न हुआ। C.C. Blocks M-30 (1:1½:3) कुल 162.17 cumx8 बैग प्रति cum (factor)=1297.36 या 1250 बैग सीमेन्ट उपयोग कर निष्पादित हुआ लेकिन सीमेन्ट की कुल 1050 बैग की वसूली ₹234 प्रति बैग =₹245700 की गई जबकि 1250—1050 बैग=200 बैग की वसूली नहीं की गई शेष 200 बैग सीमेन्ट की वसूली मार्केट दर ₹325/— प्रति बैग कुल ₹65000/— की जानी अपेक्षित थी जिसकी वसूली नहीं की गई यह अनियमित है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 बिना सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये ₹61.86 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल निर्माण कार्य नियम 2010 के पैरा 4 (2) के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता ₹10 लाख की प्राकलन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है। निम्न प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के प्राकलन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए व यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

वा0सं0	कार्य का नाम	प्राकलन राशि (₹)	माप पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	निष्पादित कार्य (₹)
88 of 5/12	C/O C.C. Road from School to wards Hill top W.No. 3	1282612	44 / 26	1482744
89 of 5/12	C/O C.C. Road from Hotel Jammuna W.No. 6	1294655	44 / 28	1833894
55 of 6/12	S.R. of road from Ishan Hotel	1503842	42 / 56	1440658
55 of 7/13	Laying of Local stone at M.C. Market	1336586	43 / 94	1429010
			कुल	**₹6186306**

12 दिनाँक 31.3.2014 को ₹4.09 लाख बिजली शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध किये अभिलेख के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 को बिजली शुल्क 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से ₹408597/– हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त किये जाने शेष थे विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। बोर्ड द्वारा विद्युत सैस की राशि परिषद के विद्युत बिलों से घटा कर बिल तैयार कर समायोजित की जाती है। इस राशि को परिषद की रोकड़ बही में आय के रूप में नहीं दर्शाई जाती जबकि इस आय में दर्शित की जानी अपेक्षित है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः विद्युत बोर्ड से प्राप्त राशि को आय में दर्शित किया जाये व बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाये जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लोक निर्माण विभाग मनाली से रोड़ रोलर के किराये ₹82463/– की वसूली न करने बारेः–

परिषद के रोड़ रोलर को परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार लोक निर्माण विभाग को किराये पर दियाः–

दिनाँक	कार्य घण्टे	दर प्रति घण्टा	विभाग को भेजा गया बिल
29.5.12 से 13.7.12	94	600	56400
20.4.13 से 11.7.13	106	600	63600
		कुल राशि	**120000**

लोक निर्माण विभाग द्वारा दिन में केवल 1 या 2 घण्टा कार्य किया व ₹120000/– के बिलों से मात्र ₹37537/– का भुगतान परिषद को किया। शेष ₹120000(–)37537=₹82463/– की वसूली लोक निर्माण विभाग से की जानी शेष है। शेष राशि की वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा तारकोल से सड़क तैयार करने का कार्य गत 8–10 वर्ष पहले से बन्द है व उपरोक्त रोड़ रोलर को परिषद द्वारा किन परिस्थितियों में रखा गया है। इस बारे अंकेक्षण के दौरान स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। यह प्रकरण परिषद के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

14 निर्माण कार्य बिलों से लेबर सैस की कटौती न करने बारेः–

The building and other construction works welfare cess act-1996 की धारा (3) (1) के अन्तर्गत निर्माण कार्य बिलों में 1**%** तथा लेबर सैस की कटौती कुल निष्पादित कार्य पर कर सम्बन्धित विभाग में सैस की राशि जमा की जानी अपेक्षित थी लेकिन परिषद द्वारा लेबर सैस की कटौती नियमानुसार न कर यह राशि सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं कराई है। चयनित मासों में 1**%** लेबर सैस की कटौती निम्न निर्माण कार्यों में नहीं की गई।

क्र0सं0	वा0सं0	कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य	सैस की कटौती नहीं की
	माह 6/12			
1	53	C/O R.C.C. slab footpath towards Naveen Hotel	298496	2985
2	54	C/O R.C.C. slab foot path at ward No. 2	790777	7908
3	55	C/O S.R. to road to wards Sirli Mahadev Temple	1440656	14407
4	62	C/O S.R. to road towards Hotel Sangam	244882	2449
5	63	C/O Garbage Pit near Bus Stand	199158	1992
6	64	C/O S.R. to road to wards Hotel Gandhrara	512758	5128

7	65	C/O S.R. Garbage Pit and ramp near fire station	144133	1441
8	67	C/O laying of Local stone at Manu Market	344527	3445
9	68	Supplying of Local stone	490875	4909
	माह 3/14			
10	32	C/O Local stone flooring near ghatotkuch Temple	669720	6697
11	36	C/O Pit at Rangri	205410	2054
12	37	C/O Retaining wall at Rangri	630150	6301
13	38	C/O S.R. to Plate form at Rangri	319616	3196
14	39	Painting and distempering of Municipal properly	213042	2130
15	50	C/O R.Wall to wards up stairs Rangri	739556	7396
16	62	C/OC.C. road to wards Hotel Snowcrest	453593	4536
17	63	C/O R.C.C. slab on Nallah at W.No. 1	327477	3275
18	78	C/O Parking at W.No. 1	336725	3367
		कुल कटौती जो नहीं की गई		**₹83616**

अतः चयनित मासों में संविदाकारों से लेबर सैस की ₹83616/– की कटौती निष्पादित कार्यों पर नियमानुसार नहीं की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद अंकेक्षण अवधि में चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में समस्त कार्यों बिलों से 1**%** लेबर सैस की कटौती की गणना अपने स्त्तर पर करके उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाये यह प्रकरण परिषद के उच्च्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

15 वार्षिक संविदा दरों से अधिक दरों पर अन्य कार्य आंबटन करने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹0.80 लाख का अधिक/अनुचित भुगतानः–

(क) श्री दिरका बहादुर, संविदाकार को विभिन्न मदों की दरों के आधार पर (यात्रा में का आंकलन नहीं) विभिन्न विविध वार्षिक निर्माण कार्य हेतु पत्राँक M.C.M/7 W/2012-846 दिनाँक 29.6.12 द्वारा (1 वर्ष हेतु वार्षिक अवधि 28.6.13 तक) कार्य आंबटित किया गया।

(i) संविदाकार को वार्षिक अनुबन्ध के कार्य माप पुस्तिका 44 पृष्ठ 55 के तहत प्रदान अनुबन्ध की दर से अधिक निम्नविवरणानुसार भुगतान करने के फलस्वरूप ₹1145/– का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाये।

संक्षिप्त मद	**मात्रा**	**भुगतान दर**	**अनुमोदित प्रदान दर**	**अधिक भुगतान प्रति**	**कुल अधिक भुगतान**
Steel work welded built up	114.48 कि0ग्रा0	78 प्रति कि0ग्रा0	68 प्रति कि0ग्रा0	₹10 प्रति कि0ग्रा0	1145

(ii) वर्ष 2012–13 व 2013–14 में वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर बिना प्राकलन तैयार कर केवल मद दरों के आधार पर निविदाऐं मंगवा कर कार्य आंबटन किया गया व एक ही निविदा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकालन बाद में तैयार कर विभिन्न कार्य आंबटित किये गये जो एक गम्भीर अनियमितता है जबकि प्रधान सचिव शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल उप नियम 2006 की धारा 32 में स्पष्ट किया गया था कि There will be no splitling up of estimate for any one work." अतः एक ही अनुबन्ध के अन्तर्गत बाद में विभिन्न प्राकलन तैयार कर संविदाकार को भुगतान स्पष्ट नियमों की उल्लंघना है, इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 व 2013–14 में कितना निर्माण कार्य निष्पादन किया गया सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी प्राप्त की गई है या नहीं? हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल निर्माण कार्य नियम 2010 पैरा 3 (1) के अन्तर्गत नगर परिषद केवल ₹5 लाख कुल कार्य व्यय तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है।

अतः वर्ष 2012–13 व 2013–14 के अन्तर्गत वार्षिक अनुबन्ध के कुल व्यय का अभिलेख का विवरण अब तैयार किया जाए यदि निर्धारित राशि से अधिक व्यय किया गया हो तो उपरोक्त नियम के पैरा 2 (a) के अन्तर्गत निदेशक शहरी विकास से स्वीकृति प्राप्त कर व्यय को नियमित कराया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(iv) उपरोक्त नियम के पैरा 4 (2) के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता ₹10 लाख तक तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है। अतः वार्षिक अनुबन्ध के कुल व्यय की गणना अपने स्त्तर पर करने के पश्चात ₹10 लाख से अधिक किये गये व्यय की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त वार्षिक संविदा के अतिरिक्त उक्त संविदाकार को एक अन्य निर्माण कार्य "C/O R.Wall for protection at Rangri का आंबटन पत्रांक 265–67 दिनाँक 24.4.13 द्वारा किया गया। संविदाकार द्वारा बराबर मदों की दरें वार्षिक निर्माण कार्य आंबटन अवधि 29.6.12 से 28.6.13 तक अनुबन्धित थी। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य वार्षिक अनुबन्ध दरों से अधिक दरो पर आंबटित कर संविदाकार को अनुचित अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	**संक्षिप्त कार्य मद**	**कार्य मात्रा C/O R.Wall**	**दर C/O R.Wall**	**दर वार्षिक अनुबन्ध**	**अधिक भुगतान प्रति cum**	**कुल अधिक भुगतान**
1	Excavation	(i) 45 cum	220	225	(–) 5	(–) 225
		(ii) 34.20 cum	220	225	(–) 5	(–) 171
2	P.L. C.C. 1:6:12	(i) 11.25 cum	2975	2550	425	4781
		(ii) 4.27 cum	2975	2550	425	1815
3	R.R.M. 1:6	(i) 119-54 cum	3190	2950	240	28690
		(ii) 112.50 cum	3190	2950	240	27000
4	Shine filling (Laiddry)	18.97 cum	1500	850	650	12331
5	Bouder filling	20.25 cum	1119.95	850	269.95	5466
		कुल अधिक भुगतान (माप पुस्तिका 44 पृष्ठ 122)				**₹79687**

इस प्रकार संविदाकार को (क)+(ख)=₹1145+₹79687=₹80832/– का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद के खाते में जमा करवाई जाये।

16 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–**

लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(19)फिन(एल0ए0),खण्ड–6 दिनांक–1483–84, 25.3.15 शिमला–171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2.

पंजीकृत 2. सचिव, नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''अ'' **पैरा–1 (ग) में सन्दर्भित**

नगर परिषद मनाली के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 3/2012 तक के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1978 से 31.3.1981

1	पैरा– 5 (1)	निर्णीत	(पैरा आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा– 6 (बी)	निर्णीत	(अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके है)
3	पैरा– 6 (सी)	अनिर्णीत	
4	पैरा– 10 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा– 11	अनिर्णीत	
6	पैरा– 12 (ए)	अनिर्णीत	
7	पैरा– 12 (बी)	अनिर्णीत	
8	पैरा– 12 (डी) (ई)	अनिर्णीत	
9	पैरा– 12 (एफ)	अनिर्णीत	
10	पैरा– 12 (जी)	अनिर्णीत	
11	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत	
13	पैरा–16	अनिर्णीत	
14	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत	
18	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 03/1982

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत

3	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (बी) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (बी) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
11	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–9 (ई)	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (जी)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (एच)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (आई)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (जे)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (के)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (एल)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (एम)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (एन)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (ओ)	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (पी)	अनिर्णीत
24	पैरा–10	अनिर्णीत
25	पैरा–13	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
29	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
30	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत
31	पैरा–15	अनिर्णीत

32	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–18	अनिर्णीत
36	पैरा–20 (i)	अनिर्णीत
37	पैरा–20 (ii)	अनिर्णीत
38	पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत
39	पैरा–20 (iv)	अनिर्णीत
40	पैरा–20 (v)	अनिर्णीत
41	पैरा–20 (vi)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1984

1	पैरा–5 (बी)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
2	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत	
3	पैरा–5 (डी)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
4	पैरा–5 (ई)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
5	पैरा–5 (एफ)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
6	पैरा–5 (जी)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुका हैं)
7	पैरा–5 (आई)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा–7 (2)	निर्णीत	(पैरा आगामी प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित है)
10	पैरा–8	निर्णीत	(पालना की गई व शो टैक्स प्राप्त हो रहा है)
11	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10	अनिर्णीत	
13	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत	
14	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत	

17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (सी)	अनिर्णीत
20	पैरा–13 (डी)	अनिर्णीत
21	पैरा–13 (ई)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (एफ)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (जी)	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (एच)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
29	पैरा–16	अनिर्णीत
30	पैरा–17	अनिर्णीत
31	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
32	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
33	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/86

1	पैरा–3 (व)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (3)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं)
3	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत	
6	पैरा–5 (7)	अनिर्णीत	
7	पैरा–5 (8)	अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (9)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5 (10)	अनिर्णीत	

10	पैरा–5 (11)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (12)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (13)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (ए) (2)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (सी) (ई)	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (सी)(ई)	अनिर्णीत
18	पैरा–8 (एफ)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (डी) (1)	अनिर्णीत
23	पैरा–9 (डी) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
28	पैरा–17	अनिर्णीत
29	पैरा–18 (ए)	अनिर्णीत
30	पैरा–18 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा–18 (सी)(डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–18 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–18 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (जी)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (आई)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (जे)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (के)	अनिर्णीत

39	पैरा–18 (एल)	अनिर्णीत
40	पैरा–18 (एम)	अनिर्णीत
41	पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत
42	पैरा–20	अनिर्णीत
43	पैरा–21 (i)	अनिर्णीत
44	पैरा–21 (ii)	अनिर्णीत
45	पैरा–21 (iii)	अनिर्णीत
46	पैरा–22 (ए)	अनिर्णीत
47	पैरा–22 (बी)	अनिर्णीत
48	पैरा–22 (एफ)	अनिर्णीत
49	पैरा–22 (एच)	अनिर्णीत
50	पैरा–23 (ए)	अनिर्णीत
51	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत
52	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
53	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत
54	पैरा–24 (6)	अनिर्णीत
55	पैरा–24 (7)	अनिर्णीत
56	पैरा–24 (8)	अनिर्णीत
57	पैरा–24 (9)	अनिर्णीत
58	पैरा–24 (10)	अनिर्णीत
59	पैरा–24 (11)	अनिर्णीत
60	पैरा–24 (13)	अनिर्णीत
61	पैरा–24 (14)	अनिर्णीत
62	पैरा–24 (15)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04 / 1986 से 03 / 1987

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत

3	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–7	अनिर्णीत
12	पैरा–8	अनिर्णीत
13	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा–9 (5) (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–9 (5) (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–10	अनिर्णीत
20	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
21	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
25	पैरा–13 (5)	अनिर्णीत
26	पैरा–13 (6)	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (7)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1992

1	पैरा–5 (ए)	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–6	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)

3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–9 (1)	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
5	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत	
9	पैरा–14 (6) (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–14 (6) (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–14 (9)	अनिर्णीत	
12	पैरा–14 (12)	अनिर्णीत	
13	पैरा–14 (17)	अनिर्णीत	
14	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत	
15	पैरा–14 (27)	अनिर्णीत	
16	पैरा–14 (28)	अनिर्णीत	
17	पैरा–14 (29) (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा–14 (29) (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा–14 (29) (ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा–14 (29) (घ)	अनिर्णीत	
21	पैरा–14 (29) (च)	अनिर्णीत	
22	पैरा–14 (37) (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा–14 (37) (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा–14 (38)	अनिर्णीत	
25	पैरा–14 (39) (1)	अनिर्णीत	
26	पैरा–14 (39) (2) (ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा–14 (40)	अनिर्णीत	
28	पैरा–14 (45)	अनिर्णीत	
29	पैरा–14 (48)	अनिर्णीत	
30	पैरा–14 (49)	अनिर्णीत	
31	पैरा–14 (51)	अनिर्णीत	

32	पैरा—14 (52)	अनिर्णीत
33	पैरा—14 (54)	अनिर्णीत
34	पैरा—14 (55) (क)	अनिर्णीत
35	पैरा—14 (55) (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा—14 (55) (ग)	अनिर्णीत
37	पैरा—14 (55) (घ)	अनिर्णीत
38	पैरा—14 (55) (ङ)	अनिर्णीत
39	पैरा—14 (56) (क)	अनिर्णीत
40	पैरा—14 (56) (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा—14 (56) (ग)	अनिर्णीत
42	पैरा—14 (56) (घ)	अनिर्णीत
43	पैरा—14 (56) (ङ)	अनिर्णीत
44	पैरा—14 (59)	अनिर्णीत
45	पैरा—14 (60)	अनिर्णीत
46	पैरा—14 (61) (क)	अनिर्णीत
47	पैरा—14 (61) (ख)	अनिर्णीत
48	पैरा—14 (61) (ग)	अनिर्णीत
49	पैरा—14 (61) (घ)	अनिर्णीत
50	पैरा—14 (61) (ङ)	अनिर्णीत
51	पैरा—14 (62) (क)	अनिर्णीत
52	पैरा—14 (62) (ख)	अनिर्णीत
53	पैरा—14 (62) (ग)	अनिर्णीत
54	पैरा—14 (63)	अनिर्णीत
55	पैरा—14 (64)	अनिर्णीत
56	पैरा—14 (65)	अनिर्णीत
57	पैरा—14 (66)	अनिर्णीत
58	पैरा—14 (68)	अनिर्णीत
59	पैरा—14 (69)	अनिर्णीत
60	पैरा—14 (71) (क)	अनिर्णीत

61	पैरा–14 (72) (ख)	अनिर्णीत
62	पैरा–14 (72) (ग)	अनिर्णीत
63	पैरा–14 (73)	अनिर्णीत
64	पैरा–14 (74)	अनिर्णीत
65	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
66	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत
68	पैरा–16 (ग)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (छ)	अनिर्णीत
70	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
71	पैरा–17 (झ)	अनिर्णीत
72	पैरा–17 (ञ)	अनिर्णीत
73	पैरा–17 (त)	अनिर्णीत
74	पैरा–17 (द)	अनिर्णीत
75	पैरा–17 (ध)	अनिर्णीत
76	पैरा–17 (न)	अनिर्णीत
77	पैरा–17 (प)	अनिर्णीत
78	पैरा–17 (फ)	अनिर्णीत
79	पैरा–17 (ब)	अनिर्णीत
80	पैरा–17 (म)	अनिर्णीत
81	पैरा–17 (य)	अनिर्णीत
82	पैरा–17 (र)	अनिर्णीत
83	पैरा–17 (ल)	अनिर्णीत
84	पैरा–17 (व)	अनिर्णीत
85	पैरा–17 (ह)	अनिर्णीत
86	पैरा–17 (त्र)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1992 से 03/1996

1	पैरा–6 (क) (1)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है)
2	पैरा–6 (क) (2)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है)
3	पैरा–6 (क) (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (क) (4)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है)
5	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (1)	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
7	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत	
11	पैरा–8 (1)	निर्णीत	(आगामी प्रतिवेदनों में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–11	अनिर्णीत	
15	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत	
18	पैरा–12 (6)	अनिर्णीत	
19	पैरा–12 (7)	अनिर्णीत	
20	पैरा–12 (8)	अनिर्णीत	
21	पैरा–12 (10)	अनिर्णीत	
22	पैरा–12 (11)	अनिर्णीत	
23	पैरा–12 (14)	अनिर्णीत	
24	पैरा–12 (15)	अनिर्णीत	
25	पैरा–12 (16)	अनिर्णीत	
26	पैरा–12 (17)	अनिर्णीत	

27	पैरा–12 (19)	अनिर्णीत
28	पैरा–12 (20)	अनिर्णीत
29	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
30	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
32	पैरा–13 (घ)	अनिर्णीत
33	पैरा–13 (ङ)	अनिर्णीत
34	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
35	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
36	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
37	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (8)	अनिर्णीत
40	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
41	पैरा–16	अनिर्णीत
42	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत
43	पैरा–17 (7)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 03/1999

1	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत

10	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–9	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–13 (2) (1)	अनिर्णीत
16	पैरा–13 (2) (2)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (3) (1)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (3) (2)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (3) (3)	अनिर्णीत
20	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
21	पैरा–13 (6)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (9)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (11)	अनिर्णीत
24	पैरा–13 (13) (i)	अनिर्णीत
25	पैरा–13 (13) (ii)	अनिर्णीत
26	पैरा–13 (13) (iii)	अनिर्णीत
27	पैरा–13 (13) (iv)	अनिर्णीत
28	पैरा–13 (14)(1) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा–13 (14)(1) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा–13 (14)(1) (iii)	अनिर्णीत
31	पैरा–13 (14) (2)	अनिर्णीत
32	पैरा–13 (16) (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–13 (16) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–13 (16) (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–13 (16) (4)	अनिर्णीत
36	पैरा–13 (17) (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–13 (17) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–13 (17) (3)	अनिर्णीत

39	पैरा–13 (17) (4)	अनिर्णीत
40	पैरा–13 (22) (1)	अनिर्णीत
41	पैरा–13 (22) (2)	अनिर्णीत
42	पैरा–13 (22) (3)	अनिर्णीत
43	पैरा–13 (22) (4)	अनिर्णीत
44	पैरा–13 (22) (5)	अनिर्णीत
45	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
46	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
49	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत
50	पैरा–17 (2) (i)	अनिर्णीत
51	पैरा–17 (2) (ii)	अनिर्णीत
52	पैरा–17 (3) (i)	अनिर्णीत
53	पैरा–17 (3) (ii)	अनिर्णीत
54	पैरा–17 (4) (i)	अनिर्णीत
55	पैरा–17 (4) (ii)	अनिर्णीत
56	पैरा–17 (16) (1)	अनिर्णीत
57	पैरा–17 (16) (2)	अनिर्णीत
58	पैरा–17 (16) (3)	अनिर्णीत
59	पैरा–17 (7)	अनिर्णीत
60	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
61	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
62	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
63	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
64	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
65	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत
66	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत
67	पैरा–19	अनिर्णीत

68	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा–20 (5)	अनिर्णीत
70	पैरा–21 (1)	अनिर्णीत
71	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत
72	पैरा–21 (4)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1999 से 03/2007

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (1) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (1) (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (1) (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (1) (4)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (3) (i)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (3) (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (3) (iii)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (3) (iv)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (3) (v)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (4) (i)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (4) (ii)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (4) (iii)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत

22	पैरा–5 (1) (2)	अनिर्णीत	
23	पैरा–5 (1) (3)	अनिर्णीत	
24	पैरा–5 (1) (4)	अनिर्णीत	
25	पैरा–5 (1) (5)	अनिर्णीत	
26	पैरा–5 (2) (1)	अनिर्णीत	
27	पैरा–5 (2) (2)	अनिर्णीत	
28	पैरा–5 (2) (3)	अनिर्णीत	
29	पैरा–5 (3) (ए)	अनिर्णीत	
30	पैरा–5 (3) (बी)	अनिर्णीत	
31	पैरा–5 (3) (2)	निर्णीत	(यह पैरा प्रतिवेदन 4/92 से 3/96 पैरा 14 (1) में अभिलेख जाँच कर पहले निर्णीत हुआ है)
32	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत	
33	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत	
34	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत	
35	पैरा–5 (7) (i)	अनिर्णीत	
36	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
37	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
38	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	
39	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत	
40	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत	
41	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6 (7)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6 (8) (1)	अनिर्णीत	
44	पैरा–6 (8) (2)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत	
46	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (11)	अनिर्णीत	
48	पैरा–6 (12)	अनिर्णीत	
49	पैरा–6 (13)	अनिर्णीत	

50	पैरा–6 (14)	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (15)	अनिर्णीत
52	पैरा–6 (16)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (17)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (18)	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (19)	अनिर्णीत
56	पैरा–6 (20)	अनिर्णीत
57	पैरा–6 (21) (ए)	अनिर्णीत
58	पैरा–6 (21) (बी)	अनिर्णीत
59	पैरा–6 (22)	अनिर्णीत
60	पैरा–6 (23)	अनिर्णीत
61	पैरा–6 (24)	अनिर्णीत
62	पैरा–6 (25)	अनिर्णीत
63	पैरा–6 (26)	अनिर्णीत
64	पैरा–6 (27)	अनिर्णीत
65	पैरा–6 (28)	अनिर्णीत
66	पैरा–6 (29)	अनिर्णीत
67	पैरा–6 (30)	अनिर्णीत
68	पैरा–6 (31)	अनिर्णीत
69	पैरा–6 (32)	अनिर्णीत
70	पैरा–6 (33)	अनिर्णीत
71	पैरा–6 (34)	अनिर्णीत
72	पैरा–6 (35)	अनिर्णीत
73	पैरा–6 (36)	अनिर्णीत
74	पैरा–6 (37)	अनिर्णीत
75	पैरा–6 (38)	अनिर्णीत
76	पैरा–6 (39)	अनिर्णीत
77	पैरा–6 (40)	अनिर्णीत
78	पैरा–6 (41)	अनिर्णीत

79	पैरा–6 (42)	अनिर्णीत
80	पैरा–6 (43)	अनिर्णीत
81	पैरा–6 (44)	अनिर्णीत
82	पैरा–6 (45)	अनिर्णीत
83	पैरा–6 (46)	अनिर्णीत
84	पैरा–6 (47)	अनिर्णीत
85	पैरा–6 (48)	अनिर्णीत
86	पैरा–6 (49)	अनिर्णीत
87	पैरा–6 (50)	अनिर्णीत
88	पैरा–6 (51)	अनिर्णीत
89	पैरा–6 (52)	अनिर्णीत
90	पैरा–6 (53)	अनिर्णीत
91	पैरा–6 (54)	अनिर्णीत
92	पैरा–6 (55)	अनिर्णीत
93	पैरा–6 (56)	अनिर्णीत
94	पैरा–6 (57)	अनिर्णीत
95	पैरा–6 (58)	अनिर्णीत
96	पैरा–6 (59)	अनिर्णीत
97	पैरा–6 (60)	अनिर्णीत
98	पैरा–6 (61)	अनिर्णीत
99	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
100	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
101	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत
102	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
103	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत
104	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत
105	पैरा–7 (7)	अनिर्णीत
106	पैरा–7 (8)	अनिर्णीत
107	पैरा–7 (9)	अनिर्णीत

108	पैरा–7 (10)	अनिर्णीत
109	पैरा–7 (11)	अनिर्णीत
110	पैरा–7 (12)	अनिर्णीत
111	पैरा–7 (13)	अनिर्णीत
112	पैरा–7 (14)	अनिर्णीत
113	पैरा–7 (15)	अनिर्णीत
114	पैरा–7 (16)	अनिर्णीत
115	पैरा–7 (17)	अनिर्णीत
116	पैरा–7 (18)	अनिर्णीत
117	पैरा–7 (19)	अनिर्णीत
118	पैरा–7 (20)	अनिर्णीत
119	पैरा–7 (21)	अनिर्णीत
120	पैरा–7 (22)	अनिर्णीत
121	पैरा–7 (23)	अनिर्णीत
122	पैरा–7 (24)	अनिर्णीत
123	पैरा–7 (25)	अनिर्णीत
124	पैरा–7 (26)	अनिर्णीत
125	पैरा–7 (27)	अनिर्णीत
126	पैरा–7 (28)	अनिर्णीत
127	पैरा–7 (29)	अनिर्णीत
128	पैरा–7 (30)	अनिर्णीत
129	पैरा–7 (31)	अनिर्णीत
130	पैरा–7 (32)	अनिर्णीत
131	पैरा–7 (33)	अनिर्णीत
132	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
133	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
134	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
135	पैरा–8 (4) (ए)	अनिर्णीत
136	पैरा–8 (4) (बी)	अनिर्णीत

137	पैरा—8 (5)	अनिर्णीत
138	पैरा—8 (6)	अनिर्णीत
139	पैरा—8 (7)	अनिर्णीत
140	पैरा—8 (8)	अनिर्णीत
141	पैरा—8 (9)	अनिर्णीत
142	पैरा—8 (10) (ए)	अनिर्णीत
143	पैरा—8 (10) (बी)	अनिर्णीत
144	पैरा—9 (1)	अनिर्णीत
145	पैरा—9 (2)	अनिर्णीत
146	पैरा—9 (3)	अनिर्णीत
147	पैरा—10	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/10

1	पैरा—4 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा—6.1	अनिर्णीत
7	पैरा—6.2	अनिर्णीत
8	पैरा—6.5	अनिर्णीत
9	पैरा—9	अनिर्णीत
10	पैरा—10	अनिर्णीत
11	पैरा—11	अनिर्णीत
12	पैरा—12.1.5	अनिर्णीत
13	पैरा—12.1.6	अनिर्णीत
14	पैरा—12.1.7	अनिर्णीत
15	पैरा—12.2	अनिर्णीत
16	पैरा—12.3	अनिर्णीत

17	पैरा–13	अनिर्णीत	
18	पैरा–14.3	अनिर्णीत	
19	पैरा–16.1	अनिर्णीत	
20	पैरा–16.2	अनिर्णीत	
21	पैरा–16.3	अनिर्णीत	
22	पैरा–17.1	अनिर्णीत	
23	पैरा–17.2	अनिर्णीत	
24	पैरा–17.3	अनिर्णीत	
25	पैरा–17.4	अनिर्णीत	
26	पैरा–18	अनिर्णीत	
27	पैरा–19	अनिर्णीत	
28	पैरा–22.1	अनिर्णीत	
29	पैरा–22.2	अनिर्णीत	
30	पैरा–23	आंशिक निर्णीत	
31	पैरा–24.1	अनिर्णीत	
32	पैरा–24.2	अनिर्णीत	
33	पैरा–25	अनिर्णीत	
34	पैरा–27	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 31.3.12

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5 (II)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–6.1	अनिर्णीत	
6	पैरा–6.2	अनिर्णीत	
7	पैरा–6.3	अनिर्णीत	
8	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
9	पैरा–6.5	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

10	पैरा–6.6	अनिर्णीत	
11	पैरा–6.7	अनिर्णीत	
12	पैरा–6.8	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
13	पैरा–6.9	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
14	पैरा–7	निर्णीत	(₹1730 की वसूली माह 9/12 में की गई)
15	पैरा–8	निर्णीत	(डाक टिकटें पृष्ठ 133 पर दर्ज की गई)
16	पैरा–9 (i)	निर्णीत	(₹27258 की वसूली वेतन माह 9/12 से 9/14 में की गई)
17	पैरा–9 (ii)	निर्णीत	(₹22612/– की वसूली माह 9/12 के बकाया राशि बिल से की गई)
18	पैरा–9 (iii)	निर्णीत	(₹22612/– की वसूली वेतन माह 9/12 से 2/14 में की गई)
19	पैरा–9 (iv)	निर्णीत	(₹32600/– की वसूली वेतन माह 9/12 से 9/14 में की गई)
20	पैरा–10	निर्णीत	(₹3630/– की वसूली 8/12 से 9/12 के वाउचर में की गई)
21	पैरा–11	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
22	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–12	अनिर्णीत	
24	पैरा–13	निर्णीत	(वसूलियाँ माह 7/12 देय 8/12 वेतन बिल से की गई)
25	पैरा–14	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
26	पैरा–15	अनिर्णीत	
27	पैरा–15.1	अनिर्णीत	
28	पैरा–16	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
29	पैरा–17	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
30	पैरा–18	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)
31	पैरा–19	निर्णीत	(उत्तर व अभिलेख जाँच कर)